संख्या- 85/2015/2313/30-3-15-22बी/2000

प्रेषक,

नर्वेद सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

परिवहन आयुक्त,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

परिवहन अनुभाग-3 लखनऊ दिनॉक 20 अक्टूबर, 2015

विषय- निष्प्रयोज्य घोषित होकर नीलाम हुए वाहनों के प्रतिस्थापन स्वरूप नये वाहन क्रय किये जाने हेतु वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक-78स्टोर्स/इन्फ/2015-टी0कवर/2012, दिनॉक 13-07-2015 एवं पत्रांक-96स्टोर्स/इन्फ/2015-टी0कवर/2012, दिनॉक 23-09-2015 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि परिवहन विभाग में निष्प्रयोज्य घोषित 01 अदद जीप (पंजीयन संख्या-यूपी-32/बीजी-0633) के प्रतिस्थापन स्वरूप 01 बोलेरो जीप मॉडल-बीओएल एलएक्स/2डब्लूडी/बी0एस0-4 एनएसी, डी0जी0एस0 एण्ड डी0 दर पर, प्रति वाहन मूल्य रू0 5,89,326.15 की दर से क्रय किये जाने पर व्यय की जाने वाली धनराशि रू0 5,89,326.00 (रू0 पॉच लाख नवासी हजार तीन सौ छब्बीस मात्र) तथा 02 अदद कार (पंजीयन संख्या-यूवीजे-5775 व संख्या-यूपी-32-वी-5555) के प्रतिस्थापन स्वरूप 02 सियाज कार मॉडल-सियाज पेट्रोल (यूरो-IV) वेरियेंट (VXI), डी0जी0एस0 एण्ड डी0 दर पर, प्रति वाहन मूल्य रू0 6,78,703.82 की दर से क्रय किये जाने पर व्यय की जाने वाली धनराशि रू0 13,57,407.64 पूर्णांकित कुल धनराशि रू0 13,57,408.00 (रू0 तेरह लाख सत्तावन हजार चार सौ आठ मात्र), कुल समेकित धनराशि रू0 19,46,734.00 (रू0 उन्नीस लाख छियालीस हजार सात सौ चौंतीस मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

(1) उक्त नये वाहनों का क्रय सुसंगत वित्तीय नियमों के अन्तर्गत डी0जी0एस0 एण्ड डी0 दर पर किया जायेगा तथा क्रय किये जाने वाले वाहन की गुणवत्ता तथा डी0जी0एस0 एण्ड डी0 की दर की वैधता की अवधि सुनिश्चित कर ली जायेगी।

http://shasanadesh.up.nic.in

(2) उक्त नये वाहन उन्हीं स्थानों/कार्यालयों पर प्रतिस्थापित किये जायेंगे, जहॉ से वे निष्प्रयोज्य घोषित होकर नीलाम किये गये हैं।

(3) यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि निष्प्रयोज्य घोषित उक्त वाहनों के स्थान पर पूर्व में नया वाहन क्रय न किया गया हो।

2- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय-व्ययक में परिवहन विभाग के अनुदान संख्या-43 के अन्तर्गत आयोजनेत्तर पक्ष में लेखाशीर्ष-''3055-सड़क परिवहन-001-निदेशन तथा प्रशासन-03-अधिष्ठान व्यय-14-मोटर गाडियों का क्रय'' के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग की अशा0 संख्या-ई-9-345/दस-2015, दिनॉक 20 अक्टूबर, 2015 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(नर्वेद सिंह)
संयुक्त सचिव।

संख्या-85/2015/2313(1)/30-3-2015, तददिनॉक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ ।
4- वित्त नियंत्रक, कार्यालय-परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
5- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2
6- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9
7- निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यिकीय निदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
8- गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

(नर्वेद सिंह)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in